पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला-171009, 26 मार्च, 2011

संख्या-पी.सी.एच.-एच.ए.(1) 4/2006-III-45285.-हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (अधिसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) नियम, 2011 का प्रारूप, अधिसूचना संख्या पी.सी.एच.-एच.ए.(1) 4/2006- III तारीख 5 मार्च, 2011 द्वारा राजपत्र हिमाचल प्रदेश में तारीख 5 मार्च, 2011 को हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 186 के अधीन यथाअपेक्षित के अनुसार इससे सम्भाव्य प्रभावित होने वाले व्यक्तियों से आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करने के लिए प्रकाशित किया गया था;

और नियत अवधि के दौरान इस निमित्त कोई भी आक्षेप/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है;

अतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक-4) की धारा 97-ग, 97-च, 97-छ, 97-ज और 97-झ के साथ पठित धारा 186 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थातः-

1. संक्षिप्त नाम और विस्तार.-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (अधिसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) नियम, 2011 है।

(2) इन नियमों के उपबंध राज्यों के अधिसूचित क्षेत्रों में गठित ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों को लागू होंगे।

2. परिभाषाएं.-(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) ''अधिनियम'' से हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 अभिप्रेत है;

(ख) ''सामुदायिक संसाधनों या संसाधनों'' से अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत है व्यस्तियों द्वारा स्वामित्व वाली भूमि को अपवर्जित करके सभा क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रान्त में अवस्थित भूमि, जल, वन, खनिज और अन्य संसाधन ;

(ग) ''परामर्श'' से इन नियमों के अधीन आज्ञापक परामर्श अभिप्रेत है;

(घ) ''ग्राम सभा'' से अभिप्रेत है जो उन व्यक्तियों से मिलकर बनी है जिनके नाम ग्राम पंचायत की निर्वाचक नामावली में सम्मिलित हैं;

(ङ) ''लघु वन उपज'' से अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत है पादप मूल की समस्त गैर- इमारती वन उपज सहित चिलगोजा, न्योज, भोजपत्र, अखरोट, रत्नजोत, शिंगनी-मिंगनी, कशमल, बांस, झाड़-झंखाड़, ठूठ, बेंत, टसर, कोया, शहद, मोम, लाख, तेंदू या केन्दू पत्ते, औषधीय पौधे और जड़ी-बूटियां, जड़े, कन्द जैसे सठ जलनोरी, कारू, धूप, चोरा, बनफशा, मुश्कबाला, मामीरी, बन अजवायन, गुच्छी, डोरी, ककड़सिंगी, सालम मिश्री, ठुठ, कालाजीरा, बटकेश, गलोय, सालम पंजा, निहानी, बच, कैल कोन, दसगटुली, चलोरा, तेजपत्र, कपर कचरी, पतीशन जड़ें, बिच्छूबूटी, देवदार रोजेटी, कुशकोन, बारीफूल, कैंथ, बिन्दीफूल, ब्रास फूल, पठान

बेल, ग्रीन मौसघास, खरेरा/बसन्ती, वन हल्दि, बाथरपत्ता या राज्य के अधिसूचित क्षेत्रों में उपलब्ध और इस प्रकार घोषित कोई अन्य लघु वन उपज;

(च) ''लघु जलाशय (वाटर बाडी)'' से पेयजल निकालने के लिए प्रयुक्त जलाशय अभिप्रेत हैं चाहे व नदी, नाला, झील हो और जिसके उपर चैक डैमों को विनिर्माण किया जा सके तथा जिसमें पांच हैक्टेयर तक की भूमि की सिंचाई करने की क्षमता हो;

(छ) ''समुचित स्तर पर पंचायत'' से पंचायत का निम्नतर स्तर (श्रेणी) अभिप्रेत है जो किसी विशिष्ट कृत्य का अनुपालन कर सकेगा (सकेगी) या जिसके क्षेत्र में विशिष्ट संसाधन अवस्थित है; और

(ज) ''अधिसूचित क्षेत्र'' से भारत के संविधान के अनुच्छेद 244 के खण्ड (1) के अधीन घोषित अधिसूचित क्षेत्र अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ होंगे, जो क्रमशः अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों में उनके हैं।

3. ग्राम सभा द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का अभिरक्षण.-(1) ग्राम सभा, धारा 97-ग के अधीन अपने क्षेत्र में अवस्थित प्राकृतिक संसाधनों के साथ-साथ उन क्षेत्रों में, जिनके ऊपर यह जल, वन, भूमि, से संबंधित पारम्परिक अधिकारों का उपयोग, स्थानीय परम्परा तथा केन्द्रीय और राज्य सरकारों की विधियों की भावना के अनुसार करती है अवस्थित के अभिरक्षण और परिरक्षण के लिए सक्षम होगी।

(2) ग्राम सभा यह सुनिश्चित करेगी कि संसाधनों का इस प्रकार से उपयोग किया जाए कि,-

(क) आजीविका के साधन अविरत रहें;

(ख) लोगों के मध्य असमानता न बढ़ें;

(ग) संसाधन कुछ ही लोगों तक सीमित न रहें; और

(घ) अविरतता के दृष्टिगत स्थानीय संसाधनों का पूर्णतया उपभोग हो, और संसाधनों का प्रबंधन विद्यमान नियमों के अनुसार प्राकृतिक और अन्य संसाधनों पर व्यक्तिगत अधिकारों का सम्मान करते हुए, सामुदायिक संपदा की अन्तर्निदित भावना के दृष्टिगत ग्राम सभा द्वारा किया जाएगा।

4. संसाधन, योजना और प्रबंधन समिति.-(1) ग्राम सभा, ग्राम पंचायत के प्रधान और सभा द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले सभा सदस्यों के कम से कम पांच अन्य सदस्यों, जो पंचायत के पदाधिकारी नहीं हैं, से संसाधन, योजना और प्रबंधन समिति (जिसे इसमें इसके पश्चात् आर.पी.एम.सी. कहा गया है) का गठन करेगी।

(2) आर.पी.एम.सी. का कार्यकाल ग्राम पंचायत के कार्यकाल के साथ सह-विस्तारी होगा।

(3) आर.पी.एम.सी. की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार होगी और ऐसी बैठक का आयोजन करना प्रधान का कर्त्तव्य होगा। यथास्थिति, सचिव या पंचायत सहायक आर.पी.एम.सी. का सचिव होगा।

(4) राज्य सरकार के कृषि, वन, उद्यान, उद्योग, सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य और राजस्व विभागों के खण्ड विकास स्तर कार्यालय के प्रतिनिधि, आर.पी.एम.सी. के सलाहकार के रूप में कार्य करेंगे और इसकी बैठकों में भी भाग लेंगे।

5) आर.पी.एम.सी. सभा क्षेत्र में समस्त संसाधनों के हर संभव बेहतर उपयोग के लिए योजना की

रूपरेखा तैयार करेगी और उनका तद्नुसार उपयोग करने के लिए सभा सदस्यों के सलाह देगी तथा सहकार करेगी।

(6) आर.पी.एम.सी. संसाधनों के प्रबंधन और उपयोग के संबंध में मतभेद या विवाद के पहलुओं सहित समस्त पहलुओं पर विचार करेगी तथा यदि आर.पी.एम.सी. किसी विवाद्यक को सुलझाने में समर्थ नहीं है, तो उक्त विवाद्यक ग्राम सभा को विचार के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा। उस पर ग्राम सभा का विनिश्चय अंतिम हेागा।

5. ग्राम सभा का खेती बाड़ी लिए योजना बनाना.-(1) ग्राम सभा धारा 97-ग के अधीन योजना बनाने के लिए सक्षम होगी और खेतीबाड़ी को मितव्ययी रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए उपायों पर विचार करते हुए निम्नलिखित कार्रवाई करेगी,-

(क) भू-क्षरण की रोकथाम;

(ख) फसलों के संरक्षण के आशय से चराई व्यवस्थित करना और चरागाहों की क्षमता को बढ़ाना;

(ग) खेतीबाड़ी के उपयोग के लिए वर्षा जल संग्रहण करना और इसका वितरण करना;

(घ) बीज, खाद आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करने के साथ-साथ आपसी सहकार या अन्यथा जानकारी बांटना; और

(ङ) जैविक खाद, उर्वरकों (फर्टिलाइज़्रज) और कीटनाशकों के प्रयोग को बढ़ावा देना।

6. भू-प्रबंधन.-(1) ग्राम सभा, अपने क्षेत्र में गांव की समस्त भूमि के अभिलेखों, का यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसानों के नाम सही रूप से अभिलिखित हैं और अभिलेख समुचित रूप से अनुरक्षित हैं, पुनर्विलोकन करने के लिए सक्षम होगी।

(2) सम्बद्ध राजस्व कर्मचारियों के लिए यह आज्ञापक होगा कि वे जहां स्वामी या भूमि का खेतिहर बदल जाता है, विक्रय, बन्धक, पट्टा-संविदा इत्यादि द्वारा भूमि के अन्तरण से पूर्व ग्राम सभा को नोटिस दे।

7. भूमि के अन्यसंक्रामण की रोकथाम.-(1) ग्राम सभा यह सुनिश्चित करेगी कि अनुसूचित जनजाति से संबंधित व्यक्ति के स्वामित्वाधीन कोई भूमि, गैर अनुसूचित जनजाति व्यक्ति को अन्तरित न हो। यदि ऐसी भूमि के अन्यसंक्रामण का कोई मामला ग्राम पंचायत या ग्राम सभा के नोटिस में आता है, तो उस दशा में, राज्य सरकार के राजस्व विभाग के सम्बद्ध प्राधिकारी को इस बाबत रिपोर्ट करने का प्रधान का कर्त्तव्य होगा। उक्त प्राधिकारी विधि विरूद्धतया अन्यसंक्रामित भूमि को भूमि के वास्तविक स्वामी को प्रत्यावर्तित करने के आगामी आवश्यक कार्रवाई करेगा।

(2) ग्राम सभा, शिकायतों पर या स्वप्रेरणा से भूमि के किसी भी संव्यवहार की जांच करने को सक्षम होगी। सम्बद्ध ग्राम पंचायत के प्रधान द्वारा ग्राम सभा की जांच रिपोर्ट, सम्बद्ध पंचायत समिति और जिला परिषद् के अध्यक्ष के उक्त रिपोर्ट की प्रत्येक को एक-एक प्रति सहित, राज्य सरकार के राजस्व विभाग के सम्बद्ध प्राधिकारी को अग्रेषित की जाएगी।

(3) यदि ग्राम सभा की यह राय है कि अनुसूचित जनजाति से संबंधित किसी व्यक्ति के स्वामित्वाधीन भूमि के अन्यसंक्रामण के प्रयास किए जा रहे हैं, तो यह ऐसे संव्यवहार को प्रतिसिद्ध करने के लिए अनुदेश जारी करेगी। ऐसे मामलों में ग्राम सभा का विनिश्चय अंतिम होगा और सम्बद्ध राजस्व प्राधिकारी पर बाध्यकारी होगा।

8. अन्यसंक्रामित भूमि का प्रत्यावर्तन.-(1) यदि ग्राम सभा को ऐसा प्रतीत होता है कि अनुसूचित जनजाति के सदस्य से अन्यथा किसी व्यक्ति के पास किसी विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना,

अनुसूचित जनजाति के सदस्य द्वारा स्वामित्व वाली कोई भूमि कब्जे में है, तो यह ग्राम पंचायत के प्रधान के माध्यम से ऐसी भूमि को, उस व्यक्ति के जिससे यह मूलतः संबंधित है और यदि वह व्यक्ति मृतक है, तो उस दशा में उसके विधिक उत्तराधिकारी के कब्जे के प्रत्यावर्तन के लिए, मामले को राज्य सरकार के राजस्व विभाग के सम्बद्ध प्राधिकारी से उठाएगा।

(2) उप नियम (1) के अधीन भूमि के प्रत्यावर्तन से संबंधित विवाद की दशा में, ग्राम सभा इनके विवाद संकल्प के रूढ़िक ढंग का अनुसरण करेगी।

9. भू-अर्जन से पूर्व परामर्श.-(1) जब सरकार तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन भू-अर्जन को किसी भी मामले पर विचार करती है तो सरकार या सम्बद्ध प्राधिकारी, 97-च के उपबंधों के अनुसार ग्राम सभा को लिखित प्रस्ताव सहित निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करेगा:-

(क) परियोजना के संभव प्रभाव सहित प्रस्तावित परियोजना की सम्पूर्ण रूपरेखा;
(ख) प्रस्तावित भू-अर्जन;
(ग) सभा क्षेत्र में संभाव्य बसाए जाने वाले नए लोग और क्षेत्र तथा सोसाइटी पर संभव प्रभाव;
(घ) गांव के लोगों के लिए प्रस्तावित सहभागिता, प्रतिकर की रकम, कार्य के अवसर; और
(ङ) पुनर्वास और सतत् आजीविका योजना।

(2) सम्पूर्ण सूचना प्राप्त करने के पश्चात् सम्बद्ध ग्राम सभा, सम्बद्ध प्राधिकारी के प्रतिनिधियों को बुलाने के लिए सक्षम होगी और राज्य सरकार उनका या तो वैयक्तिक रूप से या सामूहिक रूप से परीक्षण करेगी। बुलाए गए समस्त व्यक्तियों के लिए बिन्दु अनुसार स्पष्ट और सही सूचना देनी आज्ञापक होगी।

(3) ग्राम सभा समस्त तथ्यों पर विचार करने के पश्चात, प्रस्तावित भू-अर्जन के लिए तथा विस्थापित व्यक्तियों के लिए पुनर्वास योजना के सम्बंध में सिफारिश करेगी।

(4) ग्राम सभा की सिफारिश पर भू-अर्जन अधिकारी द्वारा विचार किया जाएगा।

(5) यदि भू-अर्जन अधिकारी ग्राम सभा की सिफारिशों से अहसमत है, तो वह मामले को ग्राम सभा को पुनः विचार के लिए भेजेगा।

(6) द्वितीय परामर्श के पश्चात्, यदि भू-अर्जन अधिकारी ग्राम सभा की सिफारिशों के विरूद्ध आदेश पारित कर देता है, तो वह ऐसा करने के लिए कारणों को लिखित में अभिलिखित करेगा।

(7) पुनर्वास और सतत आजीविका योजना की प्रगति रिपोर्ट, भू-अर्जन के लिए अधिसूचना की तारीख से प्रत्येक तीन मास के पश्चात्, ग्राम सभा के समक्ष रखी जाएगी।

(8) यदि, यथास्थिति, ग्राम सभा और पंचायत समिति की राय में सुझाए गए उपायों का अनुसरण नहीं किया जा रहा है, तो ग्राम सभा उसके संबंध में राज्य सरकार के सम्बद्ध विभाग को, लिखित में सूचित कर सकेगी, और यह उक्त विभाग के लिए आज्ञापक होगा कि वह समुचित कार्रवाई करें।

10. जल संसाधनों की योजना और प्रबंधन.-(1) जल संसाधनों का प्रबंधन और उपयोग की योजना, अधिनियम की धारा 97-छ के उपबंधों के अनुसार, ऐसी रीति में बनाई जाएगी कि जिसमें वे आने वाली पीढ़ियों के लिए अविकल रहें और समस्त ग्रामवासियों का इन संसाधनों पर अधिकार रहे।

(2) ग्राम पंचायत के भीतर के जलाशयों का प्रबंधन ग्राम पंचायत द्वारा, जो एक से अधिक ग्राम पंचायत क्षेत्र में फैले हुए हैं, सम्बद्ध पंचायत समिति द्वारा और जो एक से अधिक पंचायत समिति क्षेत्र में फैले हुए है, का प्रबंधन परिषद् द्वारा किया जाएगा।

(3) आर.पी.एम.सी. और सम्बद्ध ग्राम सभा से परामर्श के पश्चात्, यथस्थिति, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद् अपनी परम्पराओं और विद्यमान विधियों की भावना के दृष्टिगत, विभिन्न प्रयोजनों के लिए गांव में उपलब्ध जल का उपयोग व्यवस्थित करेगी और प्रथा की पूर्विकता के बारे में भी विनिश्चय करेगी।

11. तलाबों के लिए भूमि का प्रबंधन.-आर.पी.एम.सी. और सम्बद्ध विभागों के साथ परामर्श से, यथास्थिति, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद् सिंचाई और अन्य प्रयोजनों के लिए तालाबों के जलस्तर के घटने के परिणाम स्वरूप, उपलब्ध भूमि की खेतीबाड़ी के लिए व्यवस्था करेगी। यह उस भूमि पर, राज्य सरकार के नियमों के दृष्टिगत, उद्ग्राह्य दर के बारे में भी विनिश्चय करेगी।

12. मछली पकड़ना आदि.- (1) समस्त ग्राम सभा सदस्यों का, गांव के क्षेत्र के भीतर अवस्थित जल संसाधनों में, परिपाटी के अनुसार मछली पकड़ने के लिए समान अधिकार होगा।

(2) ग्राम पंचायत, स्थानीय परम्पराओं के दृष्टिगत, मछली पकड़ने के किसी पहलू की बाबत, यह सुनिश्चित करने के लिए कि एक या एक से अधिक व्यक्ति अनुचित रीति में उसकी/उनकी सीमा का अतिक्रमण न करे और मछलियों की उपलब्धता भी अनुरक्षित रहे, आवश्यक शर्तें अधिरोपित करेगी।

13. ग्राम सभा द्वारा लघु खनिजों के लिए योजना बनाना.-(1) ग्राम सभा, धरा 97-ज के अधीन, सभा क्षेत्र में मिट्टी, पत्थर, रेत आदि सहित समस्त लघु खनिजों के उत्खनन और उपयोग की योजना बनाने और उन पर नियंत्रण करने को सक्षम होगी। ग्राम सभा का इस निमित्त लिया गया विनिश्चय, सम्बद्ध ग्राम पंचायत द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। (2) सभा के सदस्य निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन, अपनी परम्परागत परिपाटी के अनुसार अपनी वैयक्तिक आवश्यकताओं के लिए लघु खनिजों का उपयोग कर सकेंगे कि,-

(क) ग्राम सभा, परम्परागत आवासों से भिन्न, पक्के घरों को बनाने के लिए लघु खनिजों, जैसे पत्थर, रेत आदि के उपयोग की सीमा का विनिश्चय करेगी और उस पर रायल्टी भी अधिरोपित कर सकेगी, जो पंचायत निधि का भाग होगी;

(ख) लघु खनिजों के उपयोग और दोहन के लिए ग्राम पंचायत से अनुज्ञा लेना अनिवार्य होगा; और

(ग) ग्राम सभा व्यक्तियों द्वारा लघु खनिजों का उपयोग करने के लिए किए गए उत्खनन के दुष्प्रभाव की क्षतिपूर्ति जैसे गड्ढे भरना, वृक्षारोपण करना, तालाब विनिर्माण करना आदि का उत्तरदायित्व नियत करेगी।

(3) राज्य सरकार का सम्बद्ध विभाग, ग्राम सभा के परामर्श से, पर्यावरण, नियोजन इत्यादि के संरक्षण के लिए ग्राम सभा द्वारा ऐसे पट्टे के लिए अधिरोपित अन्य शर्तें, यदि कोई हों, को सम्मिलित

करते हुए, केवल लघु खनिजों के लिए खान पट्टा प्रदान कर सकेगी।

(4) (क) लघु खनिज उत्पादन की वाणिज्यिक संभाव्यता वाले गावों में लघु खनिजों के वाणिज्यिक रूप से उपयोग करने की अनुज्ञा देने से पूर्व, राज्य सरकार के सम्बद्ध विभाग का उत्तरदायित्व होगा कि वह ग्राम सभा से परामर्श करे।

(ख) पर्यावरण आदि के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा यदि कोई शर्त अधिरोपित की गई है, तो सम्बद्ध अधिकारी, ग्राम सभा को इस बाबत सम्पूर्ण सूचना उपलब्ध करवाएगा।

(ग) लघु खनिजों के दोहन की योजना में व्यवस्थाएं, जैसे कि उत्खनन क्षेत्र, क्षेत्र का प्रकार, उत्खनन के दुष्प्रभाव का प्रबंधन जैसे गड्ढों की स्थिति, पानी की कमी या पेड़-पौधों की कमी, खेतों में राख और धुएं का प्रभाव इत्यादि सम्मिलित होगा ताकि गड्ढों को भरकर, वृक्षारोपण द्वारा या अन्य उपयुक्त उपायों द्वारा इन समस्त प्रभावों को निष्प्रभाव किया जाए।

(5) किसी सरकारी विभाग द्वारा लघु खनिजों के दोहन के लिए यदि कोई छूट दी गई है, तो उक्त विभाग के लिए लघु खनिजों का नीलामी द्वारा दोहन करने के लिए छूट प्रदान करने हेतु ग्राम सभा की अनुज्ञा प्राप्त करना आज्ञापक होगा।

14. मादक पदार्थों का विनियमन.-(1) ग्राम सभा, धारा 97-झ (ख) के अधीन अपनी सीमाओं के भीतर किसी मादक पदार्थ के विक्रय और उपभोग के प्रतिसिद्ध करने या उसका विनियमन करने या निर्बन्धन प्रवर्तित करने के लिए सक्षम होगी जिसके लिए ग्राम सभा इस निमित्त पारित प्रस्ताव द्वारा,-

(क) जनजातीय लोगों को उनके अपने उपयोग के लिए स्थानीय शराब निकालना पूर्णतया अनुनज्ञात कर सकेगी या इसके ऊपर गांव में किसी प्रकार का प्रतिबंध अधिरोपित कर सकेगी;

(ख) दुकान से या किसी अन्य रीति में किसी भी प्रकार के मादक पदार्थ के विक्रय को बन्द कर सकेगी: परन्तु ये अनुदेश आगामी वित्तीय वर्ष से प्रवृत होंगे;

(ग) किसी प्रकार से मादक पदार्थ को गांव की क्षेत्रीय सीमा में लाने या इसे गांव की क्षेत्रीय सीमा से बाहर ले जाने पर निर्बन्धन अधिरोपित कर सकेगी;

(घ) किसी स्थान पर मादक पदार्थों का भण्डारण प्रतिसिद्ध कर सकेगी या उसकी सीमा नियत कर सकेगी;

(ङ) अपने क्षेत्र में शराब या अन्य मादक पदार्थ के उपयोग के पूर्णतः पाबन्दी लगा सकेगी या कोई निर्बन्धन अधिरोपित कर सकेगी;

(च) शराब को बनाने के लिए प्रयुक्त सामग्री जैसे कि मक्का, फल, जैगरि इत्यादि के विक्रय को विनियमित कर सकेगी; और

(छ) स्थानीय स्तर पर बनाई गई शराब, जैसे की अंगूरी, सूल्फी, चूली, बेमी, सेब, किवी, ब्राण्डी, छांग या किसी अन्य स्थानीय नाम से ज्ञात, के उपयोग को विनियमित कर सकेगी।

(2) (क) ग्राम सभा या तो शिकायत (शिकायतों) के आधार पर या स्वप्रेरणा से मादक पदार्थों से संबंधित मामलों की जांच के लिए, ग्राम सभा द्वारा नामनिर्दिष्ट् किए जाने वाले कम से कम सात सदस्यों से गठित, मत्तता नियंत्रण समिति गठित कर सकेगी और सभा सदस्यों के हित के लिए मादक पदार्थों के नियंत्रण से संबंधित उपयुक्त सुझाव देगी: परन्तु मत्तता नियंत्रण समिति के कम से कम आधे सदस्य महिलाएं होंगी।

(ख) मत्तता नियंत्रण समिति,-

(i) सुनिश्चित करेगी कि किसी प्रकार के मादक पदार्थों का विनिर्माण करने वाले

कारखाने/आसवनियां अनुज्ञाप्ति में वर्णित समस्त शर्तों का पालन कर रही हैं और किसी उल्लंघन की दशा में, ग्राम सभा को सक्षम आबकारी प्राधिकारियों के माध्यम से आगामी कार्रवाई प्रारम्भ करने के लिए मामले की रिपोर्ट करेगी; और

(ii) सम्बद्ध कारखाने/आसवनी के स्वामी के शराब के विनिर्माण, वितरण प्रणाली, इसके पर्यावर्णीय प्रभाव इत्यादि सहित लोगों के कल्याण से संबंधित समस्त मामले ग्राम सभा के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

(ग) ग्राम सभा ग्राम पंचायत के प्रधान के माध्यम से मत्तता नियंत्रण समिति के सुचारू रूप से कार्य करने के लिए आबकारी विभाग से परामर्श और सहायता ले सकेगी।

(3) (क) ग्राम सभा की सहमति के बिना शराब या अन्य मादक पदार्थों के विनिर्माण के लिए कोई कारखाना/आसवनी स्थापित नहीं की जाएगी।

(ख) ग्राम सभा की सीमाओं में, सरकार या अन्य अभिकरण द्वारा शराब या अन्य मादक पदार्थों के विनिर्माण का कारखाना/आसवनी स्थापित करने, या शराब के विक्रय के लिए नई दुकान खोलने का प्रस्ताव ग्राम पंचायत के प्रधान के माध्यम से परामर्श के लिए ग्राम सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। ऐसा प्रस्ताव ग्राम सभा की बैठक में सभा सदस्यों की सूचना के लिए प्रस्तुत किया जाएगा, जिस पर ग्राम सभा की आगामी बैठक में या विशेष बैठक में विचार किया जाएगा। उक्त प्रस्ताव पर ग्राम सभा का विनिश्चय अंतिम होगा।

(ग) यदि ग्राम सभा विवाद्यक पर कोई विनिश्चय करने में असफल रहती है या प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाता है, तो उक्त प्रस्ताव मंजूर किया गया नहीं समझा जाएगा।

15. वन उपज के दोहन के लिए ग्राम सभा से परामर्श.-(1) धारा 97-झ (क) के अधीन वन उपज के दोहन के लिए विभागीय कार्यक्रम तैयार करने से पूर्व वन विभाग ग्राम सभा से परामर्श करेगा।

(2) वन विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि वन उपज का दोहन सामान्य वन विधियों के दृष्टिगत लोगों की सहमति से तैयार की गई स्कीम के अनुरूप है और कोई भी ऐसे पौधे/वृक्ष काटे नहीं जाएंगे जो स्थानीय लोगों के लिए लाभदायक हैं। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि वन उपज का कोई अवैध निर्यात न हो।

(3) तत्समय प्रवृत किसी विधि में लघु वन उपज के बारे में किन्हीं उपबन्धों के बावजूद, वन उपज का प्रबंधन लघु वन उपज के स्वामित्व, संग्रहण की पहुंच, उपयोग और व्ययन के अधिकार के संरक्षण के लिए किया जाएगा जिन्हें वन अधिकार अधिनियम, 2006 की धारा 3 के अनुरूप सभा क्षेत्र में या इसके बाहर पारम्परिक रूप से संगृहीत किया गया हो।

(4) ग्राम सभा सम्बद्ध वन अधिकारी से परामर्श करके लघु वन उपज के उपयोग या दोहन की बाबत कार्रवाई योजना तैयार कर सकेगी।

(5) ग्राम सभा, लघु वन उपज की सीमित मात्रा की दशा में कुछ लोगों, जैसे कि संसाधन विहीन और आर्थिक रूप से कमजोर समूहों, द्वारा इसके संग्रहण और उपयोग के लिए चक्रीय व्यवस्था कर सकेगी।

(6) ग्राम सभा लघु वन उपज के दोहन के लिए नियमों का सर्वधा अनुपालन सुनिश्चित करवाने के लिए सक्षम होगी ताकि लघु वन उपज का संग्रहण करने वाले व्यक्ति कोई ऐसा कार्य न करें जिससे वन को नुकसान हो।

16. लघु वन उपज पर रायल्टी.-(1) वन विभाग, लघु वन उपज के विक्रय मूल्य के दृष्टिगत, समय-समय पर, लघु वन उपज के व्यौहारियों द्वारा संदेय रायल्टी अवधारित और अधिसूचित करेगा।

(2) लघु वन उपज का व्यौहारी, सम्बद्ध ग्राम पंचायत को इसके प्रधान के माध्यम से लघु वन उपज के निर्यात के लिए पारगमन अनुज्ञापत्र जारी करने के लिए आवेदन करेगा।

(3) ग्राम पंचायत का प्रधान आवेदन (आवेदनों) के प्राप्ति के तुरन्त पश्चात् उसे/उन्हें ग्राम पंचायत की बैठक में विचार करने और अनुमोदन के लिए रखेगा।

(4) ग्राम पंचायत के अनुमोदन के अध्यधीन, प्रधान का यह कर्त्तव्य होगा कि उक्त आवेदन (आवेदनों) को वन विभाग के सम्बद्ध वन रक्षक को सिफारिशों के लिए अग्रेषित करे। उक्त आवेदन (आवेदनों) की प्राप्ति पर वन रक्षक सत्यापित करेगा कि अनुमोदित निष्कासन चक्र के अनुसार प्रजातियां विनिर्दिष्ट क्षेत्र से निकाल दी गई हैं और निष्कासन सतत् रीति में किया गया है तथा क्षेत्र में कोई परीस्थितिकीय या पर्यावर्णीय क्षति कारित नहीं हुई है और उक्त आवेदन (आवदनों) को, सम्बद्ध ग्राम पंचायत के प्रधान को, उक्त आवेदन (आवेदनों) पर अपनी लिखित सिफारिशों के पश्चात् पारगमन अनुज्ञापत्र/अनुज्ञापत्रों को जारी करने के लिए वापस करेगा।

(5) वन रक्षक की सिफारिशें प्राप्त होने के पश्चात् प्रधान, यथास्थिति, सचिव या पंचायत सहायक के माध्यम से, लघु वन उपज के निर्यात के लिए, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम, 2002 से संलग्न प्ररूप-3 में जारी रसीद द्वारा ऐसी दरों पर, जैसी समय-समय पर राज्य सरकार के वन विभाग द्वारा अधिसूचित हैं, व्यौहारियों से अनुज्ञापत्र फीस वसूल करेगा।

(6) उप नियम (3) और (4) में वर्णित प्रक्रिया के पूर्ण होने के पश्चात् ही हिमाचल प्रदेश फारेस्ट प्रोड्यूस ट्रॉजिट (लैंड रूटस) रूल्ज, 1978 के अधीन विनिर्दिष्ट प्रारूप पर, यथास्थिति, सचिव या पंचायत सहायक द्वारा समयक् रूप से हस्ताक्षरित और ग्राम पंचायत के प्रधान द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित पारगमन अनुज्ञापत्र जारी किया जाएगा। पारगमन अनुज्ञापत्र की द्विपत्रीक प्रति सम्बद्ध वन मण्डल अधिकारी को भी अग्रेषित की जाएगी।

(7) यथास्थिति, सचिव या पंचायत सहायक का कर्त्तव्य होगा कि वह पारगमन अनुज्ञापत्र पर निम्नलिखित ब्यौरे दें:-

(क) बैठक की प्रस्ताव संख्या और तारीख जिसमें ग्राम पंचायत ने पारगमन अनुज्ञापत्र जारी करने से संबंधित मामले को अनुमोदित किया है;

(ख) निर्यात किए जाने के लिए लघु वन उपज की किस्म और मात्रा;

(ग) ग्राम पंचायत की रसीद संख्या सहित वसूल की गई अनुज्ञा फीस की रकम; और

(घ) अवधि जिसके लिए पारगमन अनुज्ञापत्र विधिमान्य रहेगा: परन्तु किन्हीं भी परिस्थितियों में कोई भी पारगमन अनुज्ञापत्र इसके जारी किए जाने की तारीख से छह मास से अनधिक की अवधि के लिए विधिमान्य नहीं होगा।

(8) लघु वन उपज के निर्यात के लिए पारगमन अनुज्ञापत्र को जारी करने के लिए वसूल की गई फीस की रकम पंचायत निधि का भाग बनेगी और इसे तुरन्त, यथास्थिति, डाकघर या सहकारी बैंक या किसी अधिसूचित बैंक में ग्राम पंचायत के खाते में, जहां पंचायत निधि रखी जाती है, जमा किया जाएगा।

(9) यथास्थिति, सचिव या पंचायत सहायक का यह कर्त्तव्य होगा कि ग्राम सभा की बैठक में सभा सदस्यों की सूचना के लिए अनुज्ञापत्र को जारी करने से संबंधित निम्नलिखित ब्यौरे रखे:-

(क) जारी किए गए पारगमन अनुज्ञापत्र (अनुज्ञापत्रों) की संख्या;

(ख) व्यौहारी (व्यौहारियों) का/के नाम जिसे/जिन्हें पारगमन अनुज्ञापत्र (अनुज्ञापत्रों) को जारी किया

गया है;

(ग) लघु वन उपज की किस्में और मात्रा जिसके लिए पारगमन अनुज्ञापत्र (अनुज्ञापत्रों) के जारी किया गया है; और

(घ) वसूल की गई अनुज्ञा फीस की रकम।

(10) वन मण्डल अधिकारी ग्राम पंचायत द्वारा जारी किए गए अनुज्ञापत्रों से संबंधित अभिलेख, वसूल की गई फीस, लघु वन उपज की किस्म और मात्रा जिसके लिए अनुज्ञापत्र जारी किया गया है, अनुरक्षित रखेगा ताकि लघु वन उपज के अवैध निर्यात के मामलों और निधियों के दुर्विनियोग पर निगरानी रखी जा सके।

17. लघु वन उपज का शासकीय प्रबंधन.-(1) यदि राज्य सरकार जनजातिय हितों के संरक्षण के आशय से किसी लघु वन उपज का व्यापार सुव्यवस्थित करती है, तो ऐसा व्यापार सभा सदस्यों की ओर से किया गया व्यापार समझा जाएगा, किन्तु उक्त व्यवस्था के लिए ग्राम सभा का पूर्व अनुमोदन आवश्यक होगा। ग्राम सभा के सुझावों के आधार पर, ऐसे व्यापार में आवश्यक परिवर्तन किए जाएंगे।

(2) ऐसे व्यापार में, ग्राम सभा और लघु वन उपज का संग्रहण करने और व्यापार करने वाले व्यक्तियों का शुद्ध लाभ पर पूर्ण अधिकार होगा।

18. लघु वन उपज के लिए स्कीम.-(1) सभा सदस्यों की अपेक्षाओं, जैसे चरागाह, ईंधन की लकड़ी, आवास और हल बनाने, को पूरा करने के लिए ग्राम सभा संबधित वन अधिकारी के परामर्श से लोगों द्वारा परम्परागत ढ़ग से उपयोग में लाई जाने वाली वन संपदा के उपयोग हेतु एक स्कीम तैयार करेगी। इस स्कीम के अधीन सभा क्षेत्र में निवास करने वाला प्रत्येक व्यक्ति आर. पी. एम. सी. से अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने के पश्चात् संपदा का उपयोग कर सकेगा।

(2) ग्राम सभा विनियम बना सकेगी ताकि यह सुनिश्चित हो कि सभा सदस्यों के ईंधन लकड़ी और अन्य लघु वन उपज संग्रहीत करने के हित संरक्षित रहें।

(3) ग्राम सभा, वन का संरक्षण करने, पर्यावरण सुधारने और स्थानीय स्तर पर अपने-अपने क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने के लिए उपयुक्त कार्यक्रम तैयार कर सकेगी।

(4) ग्राम सभा अपने क्षेत्रों से गुजरने वाली लकड़ी या वन उपज के बारे में, विभागीय अनुज्ञापत्र के बावजूद, पूछताछ करने के लिए सक्षम होगी। ग्राम सभा अवैध संक्रिया के संदेह की दशा में, अपने प्रधान के माध्यम से, इसे घटनास्थल पर रोकने के लिए सक्षम होगी।

19. बाज़ार पर नियंत्रण.-(1) ग्राम सभा, धारा 97-झ (ग) के अधीन, ग्राम पंचायत के माध्यम से, अपने क्षेत्र के भीतर बाज़ारों को नियंत्रित करने और उनका प्रबंध करने के लिए सक्षम होगी। ग्राम सभा का यह कर्त्तव्य होगा कि वह,-

(क) बाज़ार में दुकानदारों और उपभोक्ताओं के लिए जल, शैड और अन्य भौतिक सुविधाएं उपलब्ध करवाएगी;

(ख) बाज़ार में हानिकारक पदार्थों के प्रवेश और विक्रय पर प्रतिबंध लगायेगी;

(ग) यह सुनिश्चित करेगी कि संव्यवहारों में भार, माप और संदाय वास्तविक है;

(घ) प्रभारित किए जा रहे मूल्यों के बारे में जानकारी अभिप्राप्त और सांझा करेगी;

(ङ) मूल्यों की बावत धोखाधड़ी या गलत जानकारी सहित समस्त अऋजु व्यवहार प्रतिबंधित करेगी;

(च) बाज़ार में या इसके आसपास के क्षेत्र में द्यूत, बाजी लगाना, भाग्य आजमाना, मुर्गबाज़ी आदि प्रतिबंधित करेगी; और

(छ) बाज़ार में दूकानदारों पर कर या तह-बाजारी अधिरोपित करेगी:

परन्तु बाजार के अपने उत्पाद का विक्रय करने हेतु आने वाले लघु विक्रेताओं पर कोई कर या तह-बाजारी अधिरोपित नहीं की जाएगी। ग्राम सभा यह विनिश्चित करने के लिए सक्षम होगी कि कौन लघु विक्रेता के रूप में अर्हित होता है।

(2) ग्राम सभा, अपने क्षेत्र में ग्रामों के बाजार का प्रबंध करने के लिए एक बाजार समिति का गठन कर सकेगी। बाजार समिति, ऐसे बाजार कर व्यवस्था के लिए और उस स्थान पर, जहां बाजार लगाया जाता है, शांति बनाए रखने के लिए तथा बाजार के, बिना किसी विरोध या झगड़े के, शांतिपूर्वक कार्य करने को सुनिश्चित करने के लिए भी जवाबदार होगी।

(3) किसी विवाद की दशा में, बाजार समिति के विनिश्चय को ग्राम सभा में चुनौती दी जा सकेगी। ग्राम सभा का उस पर विनिश्चय अंतिम होगा।

20. धन उधार देने वाले संव्यवहारों पर नियंत्रण.-(1) किसी विधि में कोई उपबंध होते हुए भी, पंचायत (अधिसूचित क्षेत्रों का विस्तार) अधिनियम, 1996 (1996 का अधिनियम संख्याक 40) की धारा 4 (ङ) की भावना के अनुसार, ग्राम सभा, धारा 97 (झ) (घ) के उपबंधों के अधीन समस्त सभा सदस्यों को उधार देने वाले संव्यवहारों को नियंत्रित करने के लिए सक्षम होगी और ग्राम सभा, इस प्रायोजन के लिए, ग्राम सभा द्वारा नामनिर्देशित किए जाने वाले पांच सदस्यों से अन्यून सभा सदस्यों से गठित एक ऋण नियंत्रण समिति बना सकेगी।

स्पष्टीकरण.-धन उधार देने वाले संव्यवहारों में किसी अधिनियम के अधीन या निजी तौर पर अथवा अनौपचारिक रूप से, प्रथा के अनुसार या अन्यथा सरकार, सहकारी सोसाइटी, धन उधारदाताओं, बैंकों और अन्य संस्थाओं द्वारा विस्तारित उधार आदि सम्मिलित होगा।

(2) ग्राम सभा, प्राइवेट संव्यवहारों के मामलों में अधिकतम ब्याज और प्रतिसंदाय की शर्त विनिश्चित करने के लिए सक्षम होगी।;

(3) ग्राम सभा, ग्रामीणें को किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा दिए गए उधार, इसकी शर्तें, प्रतिसंदाय परिस्थिति इत्यादि की बाबत कोई जानकारी मांग सकेगी। इन मामलों में, सूचना मांगने पर, संबंधित व्यक्ति या संस्था, ग्राम पंचायत के प्रधान के माध्यम से ग्राम सभा द्वारा विनिर्दिष्ट युक्तियुक्त समय के भीतर ग्राम सभा को पूर्ण सूचना उपलब्ध कराएगी।

(4) कोई सभा सदस्य, किसी संस्था या व्यक्ति द्वारा दिए गए उधार की बावत, किसी प्रकार की अनियमितता, संव्यवहार में भ्रष्टाचार, आगम की वसूली, उधार आदि का प्रतिसंदाय करने में अक्षमता के बारे में ग्राम सभा या ऋण नियंत्रण समिति के समक्ष अपना मामला लिखित या मौखिक रूप में प्रस्तुत कर सकेगा। यदि कोई मौखिक शिकायत है तो, यह ग्राम पंचायत के सचिव या पंचायत सहायक का कर्त्तव्य होगा कि वह उसको लेखबद्ध करे और उसे अभिलेख में रखे।

(5) उप नियम (4) में वर्णित आवेदन पर विचार करने के पश्चात् यदि ग्राम सभा स्वयं या ऋण नियंत्रण समिति के निष्कर्षों के आधार पर यह समझती है कि आवेदक के साथ अन्याय हुआ है तो, यह संबंधित संस्था/व्यक्ति को उक्त अन्याय का प्रतितोष करने के लिए अनुदेश दे सकेगी।

(6) ग्राम सभा, ग्राम पंचायत के प्रधान के माध्यम से, विशेषकर जनजातियों की दशा में, किसी बैंक, सोसाइटी या किसी उधार दाता को अनुदेश दे सकेगी कि उधार केवल ग्राम सभा या इसकी ऋण नियंत्रण समिति की उपस्थिति में संवितरित किए जाएं। इसी प्रकार के अनुदेश उधार के प्रतिसंदाय के बारे

में भी जारी किए जाएं। ग्राम सभा के अनुदेश बाध्यकारी होंगे।

(7) यदि संबंधित संस्था को उप नियम (6) में वर्णित अनुदेशों की बाबत कोई आक्षेप है तो वह जिला समाहर्त्ता को अपील कर सकेगी। जिला समाहर्त्ता एक मध्यस्थ, जो उक्त अपील को विनिश्चित करेगा, की नियुक्ति करेगा, जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा।

(8) ग्राम सभा, गांव में समस्त प्रकार के श्रमिकों के लिखित, मौखिक और अनौपचारिक करारों का पुनर्विलोकन कर सकेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि उधार के प्रतिसंदाय के लिए कोई बंधवा मजदूर तो नहीं है।

21. ग्राम सभा द्वारा कार्यक्रमों का अनुमोदन.-(1) ग्राम पंचायत सभा क्षेत्र के लिए योजनाओं और परियोजनाओं पर ग्राम सभा का अनुमोदन अभिप्राप्त करेगी।

(2) सभा क्षेत्र में कोई कार्यक्रम या परियोजना प्रारम्भ करने से पूर्व, यथास्थिति, ग्राम पंचायत, सरकारी विभाग, कोई अन्य संस्था, ग्राम पंचायत के प्रधान के माध्यम से प्रस्ताव को ग्राम सभा के समक्ष इसके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगी और ऐसे प्रस्ताव में,-

(क) गांव के विकास के लिए अंतिम उद्देश्यों के संदर्भ में कार्यक्रम की सुसंगति और महत्व;

(ख) कार्यक्रम के पूर्ण वित्तीय ब्यौरे जैसे कि सरकार द्वारा व्यय, उधार या सहायता; और

(ग) निर्माण कार्यों की बाबत मामलों में, उनका आयाम, निर्माण सामग्री, प्रौद्योगिकी और मशीनों का उपयोग, स्थानीय कर्मकारों की भागीदारिता, ठेकेदारों की भुमिका आदि सम्मिलित होंगी।

(3) ग्राम सभा, योजना, कार्यक्रम या परियोजना को या तो उसी रूप में, जिसमें यह संबंधित संस्था द्वारा प्रस्तुत की जाती है, अनुमोदित करेगी या इसे कतिपय शर्तों, जिनकों यह उचित समझे, सहित अनुमोदित करेगी और अनुमोदन प्रदान करते हुए यह गांव(वों) की स्थिति को ध्यान में रखते हुए आवश्यक उपांतरण कर सकेगी। ग्राम सभा का, इस निमित्त, विनिश्चय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

22. सरकारी विभागों और ग्राम पंचायतों द्वारा ग्राम सभा के विनिश्चय का अनुपालन.-(1) ग्राम पंचायत और इसकी समितियां ग्राम सभा के नियंत्रण और निदेशन के अधीन कार्य करेगी और ग्राम सभा के प्रति पूर्णतया जवाबदार होगी।

(2) ग्राम पंचायत अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार कार्य करेंगी और इन नियमों तथा ग्राम सभा के निदेशों के बीच किसी विरोध की दशा में, पश्चात्कथित को अग्रता दी जाएगी।

(3) उप नियम (2) के अधीन अपने अधिकार का उपयोग करते हुए, यदि ग्राम सभा ऐसा कोई विनिश्चय करती है, जो प्रतिबाधा उत्पन्न करता है या किसी विभाग या अधिकारी के शासकीय कार्य में प्रतिबाधा की संभावना हो, तो निम्नलिखित रूप से कार्रवाई की जाएगी:-

(क) संबन्धित विभाग का प्रतिनिधि या अधिकारी विवादग्रस्त मामले पर कार्रवाई मुल्तवी करेगा और अपना दृष्टिकोण ग्राम सभा को और इसके विनिश्चय पर पुनर्विचार करने के अनुरोध सहित प्रस्तुत करेगा; और

(ख) यदि उक्त विभाग ग्राम सभा के विनिश्चय से संतुष्ट नहीं होता हो, तो वह मामले को जिला समाहर्त्ता को निर्दिष्ट करेगा, जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा।

23. संस्थाओं और कृत्यकारियों पर नियंत्रण करने की शक्तियां.-(1) पंचायत समिति, धारा 97-झ (2) (क) के अधीन विभिन्न विभागों नामतः कृषि, पशुपालन, आयुर्वेद, शिक्षा, खाद्य एवं आपूर्ति, वन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उद्यान, उद्योग, सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य, लोक निर्माण, राजस्व, ग्रामीण

विकास तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की स्कीमों के कृत्यकरण का पर्यवेक्षण और अनुश्रवण करने के लिए सक्षम होगी। पंचायत समिति के पदाधिकारी उक्त विभागों के खण्ड और ग्राम स्तरीय कृत्यकारियों की उनके कार्य के समनुदेशित क्षेत्रों में शारीरिक उपस्थिति के बारे में निरीक्षण करने और रिपोर्ट करने के लिए सक्षम होंगे।

(2) पंचायत समिति, अपने सचिव के माध्यम से उप नियम (1) में वर्णित विभागों के खण्ड स्तरीय कृत्यकारियों द्वारा क्षेत्र निरीक्षण के लिए निदेश जारी करेगी और उनके प्रवास कार्यक्रम भी अनुमोदित करेगी।

(3) पंचायत समिति का अध्यक्ष उप नियम (1) में वर्णित विभागों के खण्ड स्तरीय कृत्यकारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों पर अपनी टिप्पणियां अभिलिखित करेगा।

आदेश के अनुसार,
हस्ताक्षर/-
सचिव (पंचायती राज)

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित